कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, कानपुर
पत्रांक 3045 /14-1 दिनॉक, कानपुर, मार्च, 08, 2019

सेवा में,

प्रबन्धक
घाटमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड
644 एवं 644ए, लखनपुर को–पोरेटिव हाऊसिंग सोसाएटी
विकास नगर, कानपुर

विषयः– घाटमपुर 765 के0वी0, घाटमपुर–आगरा ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– आपका पत्र दिनांक 26.11.2018।

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि प्रस्तावित घाटमपुर 765 के0वी0, घाटमपुर–आगरा ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण स्थल की जॉच क्षेत्रीय वन अधिकारी, घाटमपुर से करायी गयी। क्षेत्रीय वन अधिकारी, घाटमपुर की पत्र संख्या 196/14–1 दिनांक 02.01.2019 द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के अनुसार उक्त प्रस्तावित लाइन का स्थलीय संयुक्त निरीक्षण घाटमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड के अधिकृत प्रतिनिधि श्री नवनीत चड्ढा के साथ किया गया। उपरोक्त ट्रांसमिशन लाईन राष्ट्रीय राजमार्ग–86 (कानपुर–हमीरपुर रोड) के कि0मी0 57–58 एवं प्रदेशीय राजमार्ग 46 (मुगल रोड) कि0मी0 25 तथा इटावा शाख नहर मील संख्या 132 के कासिंग में सड़क/नहर के दोनो तरफ संरक्षित वन घोषित है। उक्त ट्रांसमिशन लाइन में 0.47128 हे0 संरक्षित वन भूमि प्रभावित हो रही है।

अतः वन संरक्षण अधिनियम–1980 के अन्तर्गत ऑन लाइन आवेदन कर प्रस्ताव 05 प्रतियों में प्रस्तुत करें।

भवदीय

(अरविन्द कुमार यादव)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
कानपुर

Ghatampur Transmission ... Kanpur
08.03.2019
KANPUR

dfokanpurnagar@gmail.com

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, कानपुर देहात वन प्रभाग, कानपुर देहात

पत्रांक 2531 / 14-1 दिनांक, माती, फरवरी 07, 2019

सेवा में,

मैनेजर,
घाटमपुर ट्रान्समिशन लि0
644& 644 ए लखनपुर, कोपरेटिव हाउस सोसाइटी,
विकास नगर कानपुर

विषयः– 765 के0वी0 सिंगल संर्किट घाटमपुर–आगरा ट्रान्समिशन लाईन निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि 765 के0वी0 सिंगल सर्किट घाटमपुर–आगरा ट्रान्समिशन लाईने का निर्माण प्रस्तावित है। उक्त प्रस्तावित लाईन के निर्माण में सेक्शन प्रभारी बीट प्रभारी एवं घाटमपुर–आगरा ट्रान्समिशन लि0 के प्रतिनिधि श्री गुरविन्दर सिंह के साथ दिनांक 05.01.2019 को उक्त प्रस्तावित लाईन का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कानपुर–झॉसी रोड कि0मी0/माइल स्टोन 1559–1560 दायी पटरी व बायी पटरी पर प्रभाविंत वृक्ष की सूची संलग्न है, एवं संरक्षित वन भूमि 64 मी0 लम्बाई एवं 19.3 मी0 चौडाई कुल (64X19.3=1235.2 वर्ग मी0) कुल क्षेत्रफल 0.12352 हे0 प्रभावित हो रहा है।

अतः आप वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत आन लाइन हेतु प्रस्ताव की 06 मूल प्रतियॉ इस कार्यालय को प्रेषित ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डा0 एल0के0 गिरि)
प्रभागीय वनाधिकारी
कानपुर देहात वन प्रभाग
कानपुर देहात

Ghatampur Transmission ... KANPUR
08.03.2019

E-mail-dfokd-up@nic.in

Scanned by CamScanner

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी औरैया वन प्रभाग औरैया।

पत्रांकः 2182/141 दिनांकःऔरैयाःफरवरी, 28 ,2019

सेवा में

प्रबन्धक,
घाटमपुर ट्रांसमिशन लि0,
644 एवं 644 ए लखनऊ कोपरेटिव हाउस सोसाइटी,
विकास नगर, कानपुर।

विषयः— 765 के0वी0 सिंगल सर्किट घाटमपुर—आगरा ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः— **आपका पत्र दिनांक 26.11.2018।**

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि 765 के0वी0 सिंगल सर्किट घाटमपुर—आगरा ट्रांसमिशन लाइन निर्माण प्रस्तावित है। उक्त प्रस्तावित लाइन के निर्माण में क्षेत्रीय वनाधिकारी, अजीतमल एवं क्षेत्रीय वनाधिकारी, औरैया 765 के0वी0 सिंगल सर्किट घाटमपुर—आगरा ट्रांसमिशन लाइन के प्रतिनिधि आदित्य प्रकाश दुवे के साथ क्रमशः 5.01.2019 एवं 15.02.2019 को उक्त प्रस्तावित लाइन का संयुक्त निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान पाया गया कि अजीतमल रेंज में कोई आरक्षित एवं संरक्षित वनभूमि प्रभावित नहीं हो रही है, जबकि औरैया रेंज में विलराया पनवाड़ी मार्ग एस0एच0 21 पर विरिया ग्राम के पास 0.1280 हे0 संरक्षित वनभूमि प्रभावित हो रही है।

अतः वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदन कर प्रस्ताव 6 प्रतियों में इस कार्यालय को प्रेषित करें ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

(सुंदरेशा)
प्रभागीय वनाधिकारी
औरैया वन प्रभाग, औरैया

पत्रांकः— /समदिनांकित।

प्रतिलिपि— क्षेत्रीय वनाधिकारी, अजीतमल एवं औरैया को सूचनार्थ प्रेषित।

(सुंदरेशा)
प्रभागीय वनाधिकारी
औरैया वन प्रभाग, औरैया

Ghatampur Transmission ... Kanpur 08.03.2019 KANPUR

E:\Ashwani 2017\Surveyor\Latter 2017-18.doc

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग इटावा

पत्रांक 2941 /14—1 दिनांक, इटावा, ~~फरवरी~~ मार्च 05 2019

सेवा में,

प्रबन्धक,
घाटमपुर ट्रान्समिशन लि0,
644 एंव 644 ए लखनपुर कोपरेटिव हाउस सोयायटी,
विकास नगर, कानपुर

विषयः— 765 के0वी0 सिगंल सर्किट घाटमपुर—आगरा ट्रान्समिशन लाइन निर्माण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः— आपका पंत्र दिनांक 26.11.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पंत्र के कम में अवगत कराना हैं कि 765 के0वी0 सिगंल सर्किट घाटमपुर —आगरा ट्रान्समिशन लाइन निर्माण प्रस्तावित है। उक्त प्रस्तावित लाइन के निर्माण में क्षेत्रीय वन अधिकारी बढपुरा, एंव क्षेत्रीय वन अधिकारी बसरेहर तथा घाटमपुर—आगरा ट्रान्समिशन लाइन के प्रतिनिधि श्री कौशल कुमार के साथ कमशः दिनांक 16.12.2018 से 20.12.2018 तक उक्त प्रस्तावित लाइन का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि आरक्षित वन भूमि कमशः 38.5253 हे0, एंव 1.2517 हे0 **कुल आरक्षित क्षेत्रफल 39.777** हे0 प्रभावित हो रहा हैं तथा बढपुरा में 0.0770 हें0 तथा लखना रेंज में 0.1472 हें0 कुल **संरक्षित क्षेत्रफल 0.2242 हे0,** संरक्षित वन भूमि प्रभावित हो रही हैं **। प्रभाग में कुल 40.0013 हें0** वन भूमि प्रभावित हो रहा हैं । प्रभाग में कुल 1017 वृक्ष प्रभावित हो रहे है जिसमे सें 868 वृक्ष वन भूमि पर खडे है तथा 149 वृक्ष राजकीय भूमि पर खडे हैं।

अतः आप वन सरंक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत ऑन लाइन कर प्रस्ताव 6 प्रतियों मे इस कार्यालय को प्रेषित करें ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, इटावा

पत्रॉक / उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि—क्षेत्रीय वन अधिकारी, वढपुरा बसरेहर एंव लखना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, इटावा

Ghatampur Transmission ... Kanpur 08.03.2019 KANPUR

कार्यालय, प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, फिरोजाबाद।

पत्रांक 1958/14-1 दिनांक : फिरोजाबाद : फरवरी, 22 2019.

सेवा में,

प्रबन्धक,
घाटमपुर ट्रान्समिशन लि0,
644 एवं 644 ए लखनपुर कोपरेटिव हाउस सोसायटी,
विकास नगर, कानपुर ।

विषय– 765 के0वी0 सिंगल सर्किट घाटमपुर–आगरा ट्रान्समिशन लाइन निर्माण के सम्बन्ध में।

संदर्भ– आपका पत्र दिनांक 26.11.2018

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि 765 के0वी0 सिंगल सर्किट घाटमपुर–आगरा ट्रान्समिशन लाइन निर्माण प्रस्तावित है। उक्त प्रस्तावित लाइन के निर्माण में क्षेत्रीय वन अधिकारी, फिरोजाबाद, क्षेत्रीय वन अधिकारी, शिकोहाबाद एवं सिरसागंज तथा घाटमपुर–आगरा ट्रान्समिशन लाइन के प्रतिनिधि श्री कौशल कुमार के साथ क्रमशः दिनांक 17.12.2018 से 22.12.2018 तक, दिनांक 23.12.2018 से 24.12.2018 तक एवं 15.12.2018 से 24.12.2018 तक उक्त प्रस्तावित लाइन का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि आरक्षित वन भूमि क्रमशः 2.3393 हे0 व 18.698 हे0 एवं 11.817 हे0 कुल क्षेत्रफल 32.854 हे0 प्रभावित हो रहा है।

अतः आप वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत ऑन लाइन कर प्रस्ताव 6 प्रतियों में इस कार्यालय को प्रेषित करें ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।
संलग्नक– उपरोक्तानुसार विल मूल में ।

भवदीय

(उमा शंकर दोहरे)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग फिरोजाबाद।

पत्रांक / उक्त दिनांकित ।

प्रतिलिपि–, क्षेत्रीय वन अधिकारी, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद एवं सिरसागंज को सूचनार्थ प्रेषित।

(उमा शंकर दोहरे)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग फिरोजाबाद।

Letter file 2019

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा

पत्रांकः 3773 / 141 आगरा : दिनांक : 25, फरवरी 2019

सेवा में,

अधिकृत प्रतिनिधि,
घाटमपुर ट्रांशमिशन लि0
644 व 644ए लखनपुर
कॉपरेटिव सोसायटी
विकास नगर, कानपुर।

विषय : घाटमपुर–आगरा 765 के0वी0 एस0/सी0 ट्रांशमिशन लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ : आपका पत्र दिनांक 05.02.2019.

महोदय,

उपरोक्त विषयक पत्र के क्रम में विषयगत प्रकरण की जॉच क्षेत्रीय वन अधिकारी फतेहाबाद से करायी गयी। क्षेत्रीय वन अधिकारी, फतेहाबाद एवं आपके प्रतिनिधि श्री कौशल कुमार के संयुक्त हस्ताक्षर से प्राप्त संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार आपके उक्त प्रस्तावित परियोजना में फतेहाबाद रेंज के अन्तर्गत 5.919 हे0 आरक्षित वनभूमि तथा 68 वृक्ष प्रभावित हो रहे है।

उक्त सम्बन्ध में आपकी अवगत कराना है कि आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम–1980 के अन्तर्गत भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट https://parivesh.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है।

अतः आप उक्तानुसार तत्काल कार्यवाही करने का कष्ट करें ताकि आपके प्रकरण पर अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

भवदीय

(मनीष मित्तल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।

पत्रांक 3773 / दिनांकित

प्रतिलिपि क्षेत्रीय वन अधिकारी, फतेहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(मनीष मित्तल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।

Com-3/Draftman/Letter-16/85

Ghatampur Transmission Kanpur 08.03.2019 KANPUR